पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2362212
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

प्रहलाद शर्मा	उमरावलाल वर्मा	देवलाल गोचर
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	महामंत्री
मो. 94140–56109	मो. 94148–52027	मो. 94144–03756

दिनांक : 10.10.2017

प्रेस विज्ञप्ति

2012 में नियुक्त शिक्षकों के बकाया एरियर 15 दिवस में एवं 2015 में नियुक्त समस्त शिक्षकों को 15 नवम्बर तक नियमित कर स्थायी करने के निर्देश जारी होंगे।

जयपुर 10 अक्टूबर 2017। मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेशानुसार गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति के आमन्त्रण पर राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के शिष्टमंडल की शासन सचिवालय के समिति कक्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा, वित्त एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता सम्पन्न हुई।

प्रदेश मंत्री श्री रवि आचार्य ने बताया कि वार्ता में 2012 में नियुक्त शिक्षकों के बकाया स्थिरिकरण एरियर एवं बोनस का तत्काल भुगतान करने एवं 2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने उपस्थित अधिकारियों को 2012 में नियुक्त शिक्षकों को 15 दिवस में बकाया स्थिरीकरण एरियर एवं बोनस दिये जाने तथा शेष स्थायीकरण के प्रकरण तत्काल निष्पादित करने तथा 2015 में नियुक्त शिक्षकों को 15 नवम्बर 2017 तक नियमित कर स्थायीकरण करने के निर्देश देकर पालना हेतु पाबन्द किया।

प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रहलाद शर्मा ने वार्ता में संगठन का पक्ष रखते हुए कहा कि वरिष्ठ अध्यापक/समकक्ष को दिनांक 01.07.2013 से **14430** रू.वेतन पर फिक्स किया गया है जबकि यह केन्द्र के अनुरूप रिवाईज वेतन फॉर्मूले के अनुरूप अर्थात् – **6500 x 1.86 = 12090 + 4200 = 16,290** रू. पर किये जाने का औचित्य रखते हुए तार्किक तरीके से तथ्यात्मक बात रखी।

प्रदेश मंत्री श्री रवि आचार्य ने वार्ता में पक्ष रखते हुए कहा कि व्याख्याता/समकक्ष को 01.07.2013 से **18,750** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण को यथावत रख कर दिनांक 28.07.2017 के आदेश द्वारा

वार्षिक वेतन वृद्धि (**G.I.**) रोकने के आदेश को प्रत्याहारित करने की बात रखी। इसी प्रकार सन् 2007 से 2009 की अवधि में नियुक्त अध्यापक एवं प्रबोधक का परीवीक्षा काल के पश्चात् **11,170** रू. मूल वेतन मानकर वेतन निर्धारण करने का विरोध करते हुए 2007 से 2009 में नियुक्त अध्यापकों एवं प्रबोधक का वेतन निर्धारण **12,900** रू. मूल वेतन मानते हुए किये जाने की पुरजोर माँग की।

संगठन ने केन्द्र के अनुरूप ही अध्यापक/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4200** रू., वरिष्ठ अध्यापक/ समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4600** रू., प्रधानाचार्य/समकक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **7600** रू., पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4200** रू., वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष/ समकक्ष का प्रारम्भिक ग्रेड–पे **4600** रू., प्रयोगशाला सहायक के चयनित वेतनमान में आ रही विसंगतियों को तत्काल दूर करने तथा प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक बने शिक्षकों को 27 वर्षीय **ACP** में शिक्षकों के समान ही 5400 रूपये की ग्रेड–पे देने का पुरजोर आग्रह करते हुए इसके पक्ष में संगठन के औचित्य रखे।

संगठन मंत्री श्री महावीर प्रसाद सिंहल ने पूर्व में तदर्थ नियुक्त कृषि विषय के व्याख्याताओं को नियमित कर समस्त परिलाभ एवं वरिष्ठता का लाभ दिये जाने तथा 2012 में बी.एस.टी.सी. उत्तीर्ण उदयपुर व बून्दी जिले के शेष रहे शिक्षकों को स्थायी करने की माँग की।

मंत्रिमण्डल उप समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ ने शिष्टमण्डल को आश्वस्त किया कि वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गठित सामन्त समिति सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। संगठन द्वारा रखी गई इन विसंगतियों एवं उनके औचित्य को भी सामन्त समिति द्वारा विचार कर रिपोर्ट आने पर मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा।

वार्ता में प्रदेशाध्यक्ष श्री प्रहलाद शर्मा, संगठन मंत्री श्री महावीर प्रसाद सिंहल एवं प्रदेश मंत्री श्री रवि आचार्य शामिल हुए। शासन की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, श्री दिगम्बर सिंह, उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय बीसूका क्रियान्वयन समिति के साथ कार्मिक सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज विकास, सर्वशिक्षा अभियान के आयुक्त श्री जोगाराम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भवदीय

(चन्द्रप्रकाश शर्मा)
सचिव, प्राथमिक क्षेत्र